न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीलडिक्री./टीए./1251/2004/जयपुर

1.गोपी
2 लादू
पुत्रगण नानगा
3 गोविन्दराम
4 धन्नाराम
5 देवनारायण
पुत्रगण मांगीलाल
6 सोनी पुत्री मांगीलाल
7 गंगादेवी पत्नि स्व0 मांगीलाल
8 रूपनारायण
9 सुवालाल
पुत्रगण मूल्या उर्फ मूलचन्द
10 ग्यारसी देवी बेवा मूलचन्द
11 धापू पत्नि काना
12 भूराराम
13 छाजू
14 सुन्दरी
पुत्र/पुत्री काना
15 ग्यारसा पुत्र कानाराम अवस्यक जरिए माता धापू बेवा कानाराम माली समस्त जाति माली निवासी ग्राम रूपाहेडी कलां तहसील चाकसू जिला जयपुर ।

अपीलाण्ट

बनाम

1 सुन्दरा
2 रामू
पुत्रान कुशला मीणा निवासी रूपाहेडी कलां तहसील चाकसूं जिला जयपुर।

रेस्पोडेण्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री वी. श्रीनिवास , अध्यक्ष
श्री चिरंजीलाल दायमा, सदस्य

उपस्थितः
श्री आत्मारामशर्मा , अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय

दिनांक20.11.18

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–10–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने एक वाद घोषण व निषेधाज्ञा का रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 88 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नंबर 90 रकबा 1 बिस्वा कुल रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा जिसके नये नंबर 270 रकबा 0.57 हेक्टेयर है । उक्त भूमि पर वादीगण अपने बुजुर्गो के समय से ही बहैसियत खातेदार काश्तकार चला आ रहा है । किन्तु बंदोबस्त विभाग द्वारा गलत रूप से बिना किसी आधार के उक्त भूमि पर रेस्पोडेण्ट के बुजुर्गो का नाम राहिन और अपीलाण्ट/वादीगण के बुजुर्गो का नाम बतौर मुर्तहीन दर्ज कर दिया जबकि वादीगण अपने बुजुर्गो के समय से ही बहैसियत खातेदार है । अतः वादीगण व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में रहन मूर्तहीन को दुरूस्त कराने एवं खातेदारी की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया । रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी ने अपने जबावदावे में वाद में अंकित कथनों से इंकार किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे व जबावदावे के आधार पर तनकियात कायम कर अपने निर्णय दिनांक 4–4–2001 से अपीलाण्ट/वादीगण का दावा खारिज कर दिया । उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 29–10–2003 से खारिज कर दिया ।

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 29–10–2003 के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

सहायक कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 4–4–2001 में यह आदेशित किया है कि प्रतिवाीदगण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है एवं

वादीगण स्वर्ण जाति के हैं वे अनुसूचित जनजाति की आराजी में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । दावा वादीगण खारिज किया जाता है ।

उक्त आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के यहां किए जाने पर उन्होंने अपने आदेश में आदेशित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावशील होने के दिन वीदगण अपीलग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं थे तथा उनकी हैसियत से बन्धकग्रहिता की थी । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में विहित प्रावधानों के अनुसरण में संवत 2012 में विवादित भूमि को बंधक मान भी लिया जाए तब भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 32 में विहित प्रावधान के अनुसरण में विवादित भूमि रहनमुक्त होकर प्रत्यर्थी वादीगण के खातेदारी काश्तकार की कृषि भूमि थी अपीलार्थी वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई अपील किसी भी प्रकार से औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होती है । यहां यह भी विशेष रूप से उल्लेख किया जाना वांछनीय है कि राजस्थान अभिधृति अधिनियम1955 के प्रभावशील होने के दिन प्रत्यर्थी वादीगण विवादित भूमि के खातेदार अभिलिखित है । उक्त अधिनियम की धारा 42 में विहित प्रावधान के अनुसरण में प्रत्यर्थी वादीगण मीणा अनुसूचित जनजाति के किसी खातेदार काश्तकार की कृषि भूमि किसी भी प्रकार से सवर्ण जाति के व्यक्तियों के पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा किया जाना विधिक प्रावधान के अनुसरण में वर्जित है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावशील होने के दिन अपीलग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं थे तथा उनका बंधकग्रहिता की हैसियत से तथाकथित कब्जा राजस्थान अभिधृति अधिनियम1955 के प्रभावशील होने के दिनांक से खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा स्वीकार नहीं किया जा सकता है जिससे विचारण न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है और अपील निरस्त कर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत रखा ।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय विधिसम्मत नहीं है । विवादित आराजी पर अपीलाण्ट अपने बुजुर्गो के समय से बहैसियत खातेदार काश्तकार करता चला आ रहा है । सेटलमेंट विभाग ने गलत रूप से बिना किसी आधार पर रेस्पोडण्ेट के बुजुर्गो का नाम बतौर राहिन और अपीलाण्ट के बुजुर्गो का नाम मुर्तहीन दर्ज कर दिया जब कि अपीलाण्ट अपने बुजुर्गो के समय से ही इस भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है । अतः अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किए जावे ।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने तर्क दिया कि अपीलाण्ट गैर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है जब कि रेस्पोडेण्ट अनुसूचित जनजाति के काश्तकार है। उनको किसी भी स्थिति में खातेदारी नहीं दी जा सकती है । अतः अपील खारिज की जावें।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि खतौनी बंदोबस्त संवत 2004–2023 के अनुसार खसरा नंबर 55, 56, 57 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार कुशला वल्द भगवाना कौम मीना साकिन हरनारायणपुरा राहिन दर्ज है जिसमें यह भी अंकित है कि नानगा वल्द बलदेवा सा0 देह मुर्तहीन लिखा है एवं मूल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2 के अनुसार इस भूमि के नये नंबर 88 रकबा 2 बीधा 4 बिस्वा बने है भूमि एकीकरण विभाग खतौनी जमाबन्दी संवत 2021 के अनुसार भी हाल खसरा नंबर 88 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा पर सुन्दरा, रामू पि0कुशला जाति मीना खातेदार राहिन दर्ज है जब कि गोपी लादू पि0 नानगा हि0 1/2 रामकवार पुत्र बलदेव हि0 1/2 जाति माली सा0 देह मुर्तहीन दर्ज है । प्रदर्श–4 जमाबन्दी संवत 2037–40 में भी विवादित भूमि खसरा नंबर 88 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा पर सुन्दरा रामू पि0 कुशला जाति मीणा सा0

हरिनारायणपुरा राहिन गोपी लादू पि0 नानगा हि01/2 मांगीला मूल्या काना पि. रामकुवार हि0 1/2 जाति माली सा0 देह खातेदार दर्ज है ।

प्रस्तुत रेकार्ड से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात के खातेदार रेस्पोडेण्ट अनुसूचित जनजाति के काश्तकार के नाम दर्ज है । अपीलाण्ट को बतौर मुर्तहीन रेकार्ड में दर्ज किया हुआ है ।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 (3)(4)(5)इस प्रकार है –

(3) उपधारा 2 के अधीनस्थ किया गया भोग बंधक इसमें पूर्ण वर्णित कालावधि की समाप्तिपर बंधककर्ता द्वारा बिना किसीसंदाय के पूर्णरूपेण उन्मोचित समझाा जावेगा और बंधक ऋण निर्वापित समझाा जायेगा और बंधकित भूमि मोचित समझाी जावेगी और बंधकदार उसका कब्जा सब विल्लगंमों से मुक्त रूप में बंधककर्ता को परिवर्ततत किया जावेगा ।

(4) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व किया गया भूमि का भोगबंधक बंधक विलेख में वर्णित कालावधि या उसके निष्पादन की तारीख से तीस वर्ष की समाप्त होने पर जो भी कालावधि न्यून हो बंधककर्ता द्वारा बिना किसी संदाय के पूर्णरूपेण उन्मोचित समझा जायेगा और बंधक ऋण तदनुसार निर्वापित समझा जावेगा और इसके बाद बंधकित भूमिका मोचन किया जायेगा तथा उसका कब्जा सब विल्लंगमों से मुक्त रूप से बंधककर्ता को परिदत्त किया जायेगा ।

(5) यदि बंधकदार बंधकित भूमि का कब्जा उक्त रूप से पुनः परिदत्त नहींकरे तो वह धारा 183 क केअनुसार बेदखली के लिए दायी होगा और इसका उपधारा 4 (ड) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ।

इन प्रावधानों से स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति के काश्तकारों की भूमि गैर अनुसूचित जनजाति के बंधक नहीं रखी जा सकती है ।

ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष पूर्णतया विधिसम्मत है कि अनुसूचित जनजाति के भूमि पर गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को खातेदारी नहीं दी जा सकती है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित निर्णय है जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अतः अपील खारिज योग्य है ।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है।दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय यथावत रखे जाते है

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिरंजी लाल दायमा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष